राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ **दिनांक :–**

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अर्द्धशासकीय टीप सं. प.4(10)वित्त/बीमा/2025 दिनांक 05.01.2026 के प्रस्तावानुसार संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(1)वित्त/अंकेक्षण/2026 दिनांक 07.01.2026 के अनुसरण में कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजसमन्द के सामान्य प्रावधायी निधि खातों में हुये अनियमित आहरण/गबन के प्रकरणों की जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	**श्री प्रमोद बिहारी शर्मा,**	**वरिष्ठ लेखाधिकारी,**	**(प्रभारी, आं. जां. दल सं. 18, कोटा)**	**प्रभारी**
2.	**श्री श्याम कुमार टेलर,**	**लेखाधिकारी,**	**(सदस्य, आं. जां. दल सं. 18, कोटा)**	**सदस्य**
3.	**श्री किशन लाल मीना,**	**सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,**	**(प्रभारी, भौ. स. दल सं. 46, बूंदी)**	**सदस्य**

1. विशेष जांच कार्य संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(1)वित्त/अंकेक्षण/2026 दिनांक 07.01.2026 (प्रति संलग्न) एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) की अर्द्धशासकीय टीप सं. प.4(10)वित्त/बीमा/2025 दिनांक 05.01.2026 (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

2. उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि जांच कार्य वर्तमान विशेष जांच कार्य पूर्ण होने एवं विशेष जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आगामी कार्य दिवस से प्रारम्भ कर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित एक माह में पूर्ण करते हुये विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd

(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 695-709 **दिनांक :–** 9.1.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान, जयपुर को जांच कार्य हेतु जांच दल को IFMS/SI & PF Portal के विज्ञ कार्मिक यथा प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, (System & IT), मुख्यालय SIPF, सहकार भवन, जयपुर को उचित कार्यवाही एवं सहयोग हेतु प्रेषित है।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
8. सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
9. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
10. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री प्रमोद बिहारी शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी/श्री श्याम कुमार टेलर, लेखाधिकारी, आं. जां. दल सं. 18, कोटा एवं श्री किशन लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, भौतिक सत्यापन दल सं. 46, बूंदी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
11. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

(स्मिता सरीन)
अतिरिक्त निदेशक (अंकेक्षण)